न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/22/2019	2019/00044	11–04–2019	25–02–2021

1– नत्था पुत्र टुण्डलराम जाति कंजर (हरिजन) निवासी खेडली लोधा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

1– शिवलाल पुत्र प्रभाती
2– मोहनलाल पुत्र प्रभाती
3– बल्ली पुत्र शिवलाल
4– राधे पुत्र शिवलाल
5– बनवारी पुत्र शिवलाल
6– बबली पुत्र मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासीयान् ग्राम खेड़ली लोधा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ का निर्णय दिनांक 28.01.2019 प्र0सं0 02/2018 अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

01. श्री जनक सिंह चौधरी –वकील अपीलान्ट
02 श्री सुरेश चन्द शर्मा –वकील रेस्पो0

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 28.01.2019 जिसके द्वारा बेजा तौर पर खारिज किया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के विरूद्ध एक प्रा0पत्र मिसल सं0 02/18 दिनांक 24.07.2018 को अन्तर्गत धारा 183बी आरटीएक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 449/5 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम जोनाखेडाभय तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। जिसमें अपीलार्थी पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं। अपीलार्थी जाति कंजर (हरिजन) है जो अनुसूचित जाति का–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

सदस्य है और प्रार्थी गरीब व काफी वृद्ध व्यक्ति है। जबकि रैस्पो0 लठबाज जबरदस्त प्रभावशाली लोग है जो स्वर्ण जाति के सदस्य है। अपीलार्थी की उक्त आराजी पर रैस्पो0 ब्राह्मण स्वर्ण जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। रैस्पो0 पैसे वाले व नोकर पेशा लोग है। रैस्पो0 ने काफी अर्स पूर्व अपीलार्थी की उक्त आराजी पर जबरन लठ के बल पर कब्जा कर लिया था तथा विभिन्न न्यायालयों में उक्त जमीन के बाबत मुकदमें किये थे। जिन मुकदमों में रैस्पो0 सभी जगी से हार गये। अपीलार्थी द्वारा रैस्पो0 को उक्त विवादित आराजी पर से दि0 22.07.2018 को कब्जा छोडने के लिए कहा तो साफ इंकार कर दिया। रैस्पो0 के कब्जे के कारण अपीलार्थी को भारी हानि होगी व पूरा परिवार भूखा मर जावेगा। विवादित आराजी की नकल अपीलार्थी को दि0 05.03.2019 को प्राप्त हुई है। अंदर मियाद पेश है। फिर भी जो समय दिनांक 28.01.2019 से दिनांक 05.03.2019 तक अपील पेश करने का समय पैसों का इंतजाम करने व कानूनी सलाह प्राप्त करने, नकल लेने में व्यथित हुआ है। जिस हेतु पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश है। अपीलार्थी की ओर से अपने उक्त प्रा0पत्र के समर्थन में पेश किये दस्तावेजात नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खाता सं0 106, नकल गिरदावरी सम्वत् 2070–73 ग्राम जोनाखेड़ाभय पर गौर नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में विवादित आराजी पर आरटीएक्ट की धारा 183 बी के तहत दो प्रा0पत्र रैस्पो0 के विरूद्ध पेश किये जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2008 व दि0 29.07.2011 को खारिज फरमा दिये गये। एक ही विवाद बिन्दू पर एक बार जो निर्णय हुआ है उस पर पुनः कार्यवाही चलाना धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत उचित नहीं है। पूर्व में दो प्रा.पत्र इसलिए पेश किये है क्योंकि आराजी खसरा नम्बर 449 मिन बहुत बड़ा रकबा है जिसका तितम्बा नहीं काटे जाने के कारण त्रुटि हुई है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवादित आराजी के मौके व कब्जे की रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए थी जिससे ज्ञात होता की उक्त आराजी पर रैस्पो0 अतिक्रमण हैं या नहीं। रैस्पो0 का विवादित आराजी 449/5 से भिन्न आराजी 449 मिन रकबा 4 बीघा पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होना दर्ज है लेकिन रैस्पो0 आराजी ख0नं0 449 मिन रकबा 4 बीघा की आड में विवादित आराजी 449/5 रकबा 1.01 है0 पर अतिक्रमण व अतिचार किया हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.01.2019 को अपास्त फरमाया अपीलार्थी को पुनः दखल व कब्जा दिलाया जावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी बाबत् एक अपील राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के न्यायालय में पेश –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

की थी, जो दिनांक 25.08.2003 को खारिज हो चुकी है। पूर्व अपीलांट द्वारा प्रा0पत्र 183 बी आरटीएक्ट दो बार अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये, जो दोनों ही प्रा0पत्र क्रमशः दिनांक 25.03.2008 व दि0 29.07.2011 को खारिज किये जो चुके है। फिर भी प्रार्थी द्वारा पुनः तीसरी बार अधीनस्थ न्यायालय को प्रा0पत्र पेश किया गया। जो पुनः Resjudiceta सेक्शन 11 सीपीसी के तहत प्रा0पत्र 183बी आरटीएक्ट में मैंन्टेबल नहीं है। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रा0पत्र को विधिवत् खारिज फरमाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया गया। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2019 के विरूद्ध दिनांक 11.04.2019 को अपील पेश की गयी है जो करीब 02 माह 14 दिन बाद पेश की गयी है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में देरी का ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है जिससे अपील में हुई देरी को कंडोन किया जा सके। हमने न्यायालय की पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा पूर्व में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.1998 के विरूद्ध की गयी अपील प्रकरण सं0 01/1999/अलवर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 25.08.2003 को खारिज की जा चुकी है तथा अधीनस्थ न्यायालय में भी पूर्व में प्रार्थी का 183 बी आरटीएक्ट का प्रा. पत्र दो बार क्रमशः दिनांक 25.03.2008 एवं दिनांक 29.07.2011 को खारिज किये जा चुके है। अपीलांट द्वारा एक ही विवादित आराजी पर पुनः तीसरी बार अधीनस्थ न्यायालय में प्रा0पत्र पेश किया गया है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 26.01.2019 से भी स्पष्ट है कि मूल आराजी खसरा नम्बर 449 ग्राम जोनाखेड़ाभय में कभी भी अपीलांट का कब्जा नहीं रहा है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

25/02/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)